प्रेषक,

संख्या /VI-I/2008–2(15)2007

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण अनुभागः

देहरादून दिनांक 22 अप्रैल 2007

विषयः जिला योजना 2008–2009 हेतु प्राविधानित धनराशि को जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–267/XXVII(1) 2008 दिनांक 27 मार्च, 2008 तथा शासनादेश संख्या–624/जि0यो0/मु0स0/2008 दिनांक 24 मार्च 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु जिला योजना 2008–09 में प्राविधानित रू0 600.00 लाख (रूपये छः करोड़ मात्र) की धनराशि जनपदवार निम्न प्लान परिव्यय के अनुसार जिलाधिकारियो के निर्वतन पर रखें जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:--

क0सं0	जनपद का नाम	कुल परिव्यय	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1.	नैनीताल	66.00	50.00
2.	उधमसिंह नगर	56.25	50.00
3.	अल्मोड़ा	50.00	50.00
4.	पिथौरागढ़	50.00	50.00
5.	बागेश्वर	30.00	30.00
6.	चम्पावत	62.18	40.00
7.	देहरादून	51.05	50.00
8.	पौड़ी	112.50	60.00
9.	टिहरी	50.00	50.00
10.	चमोली	39.00	39.00
11.	उत्तरकाशी	71.32	50.00
12.	रूद्रप्रयाग	53.77	31.00
13.	हरिद्वार	50.00	50.00
	योगः–	742.07	600.00

2--उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आंवटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसं व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय--समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

3--उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय शासनादेशों में इंगित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

4–स्वीकृत की जा रही धनराशि को जनपदवार एवं योजनावार आंवटित परिव्यय के अनुसार ही धनराशि व्यय किया जाये। धनराशि व्यय करते समय नियोजन विभाग द्वारा गठित परिव्यय का पूर्ण पालन किया जायेगा।

5–जिला योजना पर व्यय जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति जनपदवार मात्राकृत प्लान परिव्यय के अनुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2009 तक पूर्ण उपयोजना कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया गया जायेगा।

7–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवा–001–निदेशन तथा प्रशासन–91–जिला योजना–9101–प्रादेशिक विकास दल युवा कल्याण विभाग–42–अन्य व्यय के आयोजनागत पक्ष के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव।

संख्या–123 /VI/2008–2(15)2007 तद्दिनांकित।

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय देहरादून।
3–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
4–आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
5–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
6–निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण एवं खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
7–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8–वित्त अनुभाग–3.
9–अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10–बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
11–समस्त जिला युवा कल्याण अधिकारी।
12–एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
13–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।